मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
पर्यावास भवन, द्वितीय खण्ड पंचम तल, भोपाल

क्रमांक 14199/22/वि–12/ग्रा.स./स्टेनो/प्र.अ./2017 भोपाल, दिनांक– 6/6/2017

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक (समस्त)
महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई........................
म.प्र.।

विषय– सीमेंट कांक्रीट कार्यो में मेनुफैक्चर्ड सैंड के उपयोग के संबंध में।

संदर्भः–1 प्रमुख अभियंता, म.प्र. लोक निर्माण विभाग भेपाल का पत्र क्रमांक/ संचार/ लोनिवि /2016 /1302 भोपाल, दिनांक 28.04.2016

2 परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 64–7/2015/क्रस्ट सेण्ड/कार्य/पी.डी./2744 भोपाल दिनांक 08.09.2015

––00––

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करे।

जैसा कि आपका विदित है कि वर्तमान में नदियों से सेण्ड उत्खनन् के संबंध में मध्यप्रदेश शासन तथा NGT के आदेश के परिपेक्ष्य में नेचरल सेण्ड की उपलब्धता में कठिनाई आ रही है जिसके कारण भवन निर्माण कार्य, सी.सी. पेवमेंट एवं पुल–पुलियों के निर्माण के कार्य प्रभावित हो रहे है। भारतीय मानक IS:383-1970(Reaffirmed 2002) क्रस्ड स्टोन सेण्ड अर्थात मैनुफेक्चर्ड सेड के लिए भारतीय मानक द्वारा इसके मापदण्ड जारी किए गए है जिसका उपयोग सीमेंट कांक्रीट में किये जाने का प्रावधान है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि क्रस्ड स्टोन सेण्ड अर्थात मेनुफैक्चर्ड सैंड का उत्पादन मैनुफैक्चर्ड सैंड प्लांट से किया जाना आवश्यक है अतः सैंड मेनुफैक्चर्ड प्लांट से बनाई गई मेनुफैक्चर सेन्ड का उपयोग भवन निर्माण, सी.सी. पेवमेंट अथवा पुल–पुलियों के निर्माण में किया जा सकता है। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के अनुसार दिए गए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए बड़े पुलों के लिए 50 प्रतिशत मेनुफैक्चर्ड सैंड एवं 50 प्रतिशत नेचरल सेंण्ड मिलाकर कार्य किया जा सकता है इसके लिये ठेकेदार को अलग से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन संरचनाओं में Cement Concrets Design mix से किया जाना है ऐसे प्रकरणों में महाप्रबंधक मैनुफैक्चर्ड सैंड से Design Mix बनवाकर ही उपरोक्त दिए गए निर्देशानुसार कार्य करायेंगे।

स्पष्ट किया जाता है कि क्रस्ड स्टोन डस्ट का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

संलग्नः– संदर्भित पत्रों की प्रतियां।

6/6/17
(एम.के.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

पृ. क्रमांक 14200/22/वि–12/ग्रा.स./स्टेनो/प्र.अ./2017 भोपाल, दिनांक– 6/6/2017

प्रतिलिपि–

1– मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) को संदर्भित पत्रों की प्रतियां संलग्न कर म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय की सूचनार्थ।

6/6/17
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

कार्यालय परियोजना सचांलक
लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल

E-mail:- pdpmupwd@gmail.com Tel.No. 0755-2551341 Fax.No. 2555498

क्र.:एफ 64–7 / 2015 / क्रस्ड सेण्ड / कार्य / पी.डी. / 2744 भोपाल,दिनांक: 8 / 08 / 2015

प्रति,

1. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक
   लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. भोपाल /
   इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर / रीवा (म.प्र.)
2. समस्त संभागीय परियेाजना यंत्री
   लोक निर्माण विभाग, पीआईयू,
   51 जिलों (म.प्र.)

विषयः–कांकीट कार्यो के लिये नेचरल सेंण्ड के स्थान पर क्रस्ड स्टोन सेण्ड / क्रस्ड ग्रेवल सेण्ड के उपयोग बावत्।

संदर्भः– भारतीय मानक–IS: 383- 1970 Reaffirmed 2002 ।(छायाप्रति संलग्न)

––000––

नदियों से रेत उत्खनन् विषय पर माननीय ग्रीन ट्रिव्यूनल के आदेश के पालन के परिणाम स्वरूप नेचरल सेण्ड की उपलब्धता में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि पीआईयू के भवन निर्माण के कांकीट कार्यो में IS:383-1970(Reaffirmed 2002) के अनुसार Natural sand के स्थान पर क्रस्ड स्टोन सेण्ड (Crushed Stone Sand) अथवा क्रस्ड ग्रेवल सेंण्ड (Crushed Gravel Sand) के उपयोग की अनुमति दी जाती है, बशर्ते इसके लिये ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त राशी की मांग नही की जावेगी।

उक्त निर्देश पूर्व में प्रचलित अनुबंधों एवं भविष्य में संपादित होने वाले सभी अनुबंधों में समान रूप से लागू होगे।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

8/8/2015

(विजय सिंह वर्मा)
परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. भोपाल

पृ.क्रं.:एफ 64–7 / 2015 / क्रस्ड सेण्ड / कार्य / पी.डी. / भोपाल,दिनांक: / 08 / 2015

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ समप्रेषित।

परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. भोपाल

Desktop/varsha folder/all letter(old)/pg 144

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

Website : www.mp.gov.in/pwdmp Email : pwdbhop@mp.nic.in

Phone No.– 0755-2551485, Fax – 2556527

क्रमांक / संचार / लोनिवि / 2016 / 1302 भोपाल,दिनांक 28–04–2016

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता /
समस्त अधीक्षण यंत्री /
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।

विषयः– **कांक्रीट के कार्यो में मेनुफैक्चर्ड सैंड के उपयोग के संबंध में।**

—00—

यह पाया गया है कि कतिपय रिजिड पेवमेंट्स के कार्यो में जिनमें मैनुफैक्चर्ड सैड का उपयोग किया गया है की ऊपरी सतह खराब हो गई है। प्रारंभिक अनुमान के आधार पर मैनुफेक्चर्ड सैड का एब्रेशन रेजिस्टेंस अपेक्षाकृत कम होने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श / परामर्श किया जा रहा है। इस बीच यह निर्देशित किया जाता है कि कांक्रीट के कार्यो में मैनुफैक्चर्ड सैंड तथा नैचुरल सैंड को मिलाकर उपयोग किया जाये । जिसमें मैनुफैक्चर्ड सैंड का उपयोग 50 प्रतिशत से अधिक न किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का समावेश अनुबंध में भी किया जाये।

(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / संचार / लोनिवि / 2016 / 1303 भोपाल,दिनांक 28–04–2016

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल। मुख्य अभियंताओं की बैठक दिनांक 28–4–2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, यो / ब, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
4. मुख्य अभियंता एमडीआर, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
5. सामान्य शाखा / संचार, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

Sh. Mathe

30/4/16.

CirrcMPRRDA @ rediffmail.com